न्यायालयः– अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–01, शाहपुरा, जयपुर जिला।

पीठासीन न्यायाधीश : सुन्दर लाल बंशीवाल, आर.जे.एस (डीजे कैडर)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 231/2023

एन.सी.वी. नम्बर : 231/2023

सैशन प्रकरण संख्या 32/2023

1– अरूण पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी रामपुरा, थाना भाबरू, जिला जयपुर।

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज.।

...अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थितः–

1– श्री जे.एम. कुरेशी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2– परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार आत्रेय।

2– अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 27–09–2023**

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2023, पुलिस थाना–भाबरू, जिला जयपुर, अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली तलब की गई।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.05.2023 को परिवादी घनश्याम ने एक लिखित पुलिस थाना भाबरू के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसकी बहन सीमा मीना व गीता का विवाह दिनांक 18.02.2022 को ग्राम रामपुरा छापडा में जगदीश मीना के पुत्र अरूण व अमन से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए उसकी बहनों से मारपीट करना शुरू कर दिया। उसकी बहन का पति अरूण शराब पीकर आता और मारपीट करता था। उसकी बहन ने उन्हें फोन किया कि सारे परिवार वाले मारपीट की तथा गाडी फोरचुनर के लिए दबाव बनाया एवं घर से पिता जी से 5 रूपए की मांग की गयी। उसकी बहन के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। इत्यादि....।

प्रकरण को प्र.सू.रि. 141/2023, अन्तर्गत धारा 304–बी, 498–ए भरतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 05.06.2023 को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का बहस में कथन है कि प्रकरण में अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूंठा संलिप्त किया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में सम्बद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु में उल्लिखित स्वतंत्र गवाह नवल किशोर के दौरान अनुसंधान पुलिस बयान लेखबद्ध नहीं किये गये है तथा शेष संबंधित गवाह मृतको के निकट परिजन है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में पत्रावली पर मृतका द्वरा लिखा गया सुसाइड नोट भी है जिसके आधार पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त की किसी भी रूप में भूमिका नहीं मानी जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि अभियुक्त कई दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है। तब अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी का बहस में कथन है कि प्रकरण में अभियुक्त पक्ष द्वारा मृतका सीमा को दहेज के लिए प्रताडित कर उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में स्वयं अभियोगी घनश्याम सहित अन्य गवाह ने अपने पुलिस बयान में अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध आरोपित अपराध की ताईद की है। उनका यह भी कथन है कि केवल नवल शर्मा का पुलिस बयान दौराने अनुसंधान लेखबद्ध नहीं किये जाने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गठित नहीं होता हो। तब प्रकरण में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत आवेदन खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मुकामी पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजी सामग्री का समग्र परिशीलन करने के पश्चात् प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध दहेज मृत्यु का मामला होना प्रकट है। प्रकरण में अभियुक्त अरूण, जो मृतका सीमा का पति है, के द्वारा सीमा की मृत्यु से ठीक पूर्व सीमा के साथ दहेज के रूप में वाहन तथा 5 लाख रूपए नकद धनराशि को लेकर मारपीट कारित किया जाना प्रकट है। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की ताईद प्रकरण में स्वयं अभियोगी घनश्याम सहित अन्य सम्बद्ध गवाह विष्णु, गीता, जयराम, पतासी देवी, आश देवी, रमेशचंद आदि द्वारा की गयी है। प्रकरण में सीमा की मृत्यु उसके विवाह दिनांक से लगभग सवा साल के भीतर असामान्य

परिस्थितियों में होना प्रकट है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्बद्ध पंचनामा लाश सीमा में उसके मृत शरीर में गले, दांहिने पैर, पीठ पर चोट के निशान होना उल्लिखित किया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मृतका सीमा की सम्बद्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण सम्बद्ध मेडीकल बोर्ड द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच के अध्यधीन, सीमा की मृत्यु दम घुटने से होना दर्शित किया गया है। प्रकरण में यद्यपि पत्रावली पर उपलब्ध तथाकथित सुसाइड नोट की अंतर्वस्तु के अवलोकन से सीमा की मृत्यु में उसके ससुराल पक्ष की संलिप्तता नहीं होने का तथ्य प्रकट किया गया है लेकिन गवाह श्रीमती गीता, जो मृतका सीमा की बहिन तथा उसका विवाह सीमा के देवर से ही हुआ है, ने अपने पुलिस बयान में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि ''***दिनांक 28.05.2023 की रात्रि को जीजू अरूण मीणा ने उसकी बहिन सीमा के साथ मारपीट की और बेल्टो से मारपीट की थी। उसके बाद उसकी बहिन से जीजू ने जबरदस्ती कागज पर लिखवाया था जो वह सुन रही थी***'' के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध तथाकथित सुसाइड नोट को हस्तगत जमानत आवेदन में विचार में नहीं लिया जा सकता। तब प्रकरण के समस्त तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः

::—<u>आदेश</u>—::

प्रार्थी/अभियुक्त अरूण पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी रामपुरा, थाना भाबरू, जिला जयपुर के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या—01
शाहपुरा, जयपुर जिला

आदेश आज दिनांक 27—09—2023 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या—01
शाहपुरा, जयपुर जिला